



प्रेस नोट

थाना रमाला जनपद बागपत

दिनांक 09.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 214/26 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किया हुआ केबिल तार वजन करीब 06 किलो, 02 क्षतिग्रस्त स्टार्टर, 03 क्षतिग्रस्त कटआउट व मिटर तथा 02 मोटर साइकिल व एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.10.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम जिवाना गुलियान, थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा राजकीय नलकूप संख्या 130 YG का केबल, विवेक पुत्र श्याम सिंह, जयवीर पुत्र धारा, नरेश पुत्र बलजीत, प्रवेन्द्र पुत्र राजपाल नि0गण ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत के निजी ट्यूबवैलों के केबल तथा अरविन्द पुत्र कटार सिंह नि0 ग्राम बूढपुर के ट्यूबवैल का स्टार्टर व केबल चोरी कर लेना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 214/26 धारा 303(2) बीएनएस में पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया लगभग 6 कि0ग्रा0 केबिल के टुकड़े, 02 क्षतिग्रस्त स्टार्टर, 03 क्षतिग्रस्त कटआउट व मीटर तथा घटना में प्रयुक्त में 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर नम्बर UP19R5462 रंग काला व 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए हैं। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. राजेन्द्र पुत्र मेधा नि० ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना काँधला जनपद शामली उम्र करीब 26 वर्ष
2. सुधीर उर्फ भोला उर्फ आदित्य पुत्र धारा नि० ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना काँधला जनपद शामली उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर
- केबिल के टुकड़े वजन करीब 06 किलो
- 02 क्षतिग्रस्त स्टार्टर, 03 क्षतिग्रस्त कटआउट व मीटर

- घटना में प्रयुक्त में 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर नम्बर UP19R5462

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा
- 2-उ0नि0 श्री सनव्वर अली
- 3-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार
- 4-है0का0 807 सचिन कुमार
- 5-रि0का0 602 वेदान्त
- 6-रि0का0 503 विश्वास पचौरी
- 7-रि0का0 271 ऋषि कुमार



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 09.10.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/2026 धारा 140(3)/130(1)/238ए/3(5) बीएनएस में वांछित 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त आलाकटल एक ईंट व अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने खून में सने कपड़े तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2026 को वादी श्री देवेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा थाना चांदीनगर पर लिखित तहरीर दी गई कि उसका भाई अजय गांव के ही लवदीप एवं अमित पुत्र ज्ञानचंद के साथ लवदीप की मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्राम पूरनपुर नवादा की ओर गया था, किन्तु वापस नहीं लौटा। काफी तलाश एवं खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 129/2026 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस का लोप कर धारा 140(1)/103(1)/238(a)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 06-10-2026 को 01 अभियुक्त अमित पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के 129/2026 धारा 140(3)/130(1)/238ए/3(5) बीएनएस में वांछित 25000 रुपये का इनामी अभियुक्त लवदीप को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक ईंट व अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने खून में सने कपड़े तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को बरामद किया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लवदीप उर्फ कल्लू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक ईंट ।
- अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने खून में सने कपड़े ।
- घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाईकिल रजि न0 UP 17 Y 6567 रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री राकेश कुमार थाना चांदीनगर ।
2. अपराध निरीक्षक श्री रामचन्द्र सिंह थाना चांदीनगर ।
3. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर ।
4. हे0का0 462 अमित कुमार थाना चांदीनगर ।
5. है0का0 545 दीपक भाटी थाना चांदीनगर ।
6. का0 209 मनीष कुमार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 09.10.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत 686 /26 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.10.2026 वादिया पूजा पुत्री राकेश कुमार निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत मु0नं0 7206348024 बाबत अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह नि0 ग्राम खूब्बीपुरा निवाडा थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादिया की माता श्रीमति विमलेश पत्नी श्री राकेश कुमार से बहला फुसलाकर 650000 रुपये का लोन करा लेना तथा प्रार्थिया की माता के जेवर तथा लोन के रुपये अपने पास रख लेना तथा वापस न देकर मानसिक उत्पीडन करना जिससे प्रार्थिया की माता विमलेश द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध प्राप्त हुआ। प्राप्त शुदा प्रार्थना पत्र व हस्ब मौखिक आदेश श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के मु0अ0सं0 686/26 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही- थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 686/26 धारा 108 बीएनएस मे वांछित अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह नि0 ग्राम खूब्बीपुरा निवाडा थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह नि0 ग्राम खूब्बीपुरा निवाडा थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी

1 सिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2. है०का० 821 सोनु कुमार, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3. है० का० 650 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

